राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 368/2017/आबकारी/जयपुर.

ललित कुमार सरावगी द्वारा मैसर्स होटल रॉयल ललित
प्लॉट नं0 89, 90, 100 व 101, राठौड़ नगर, क्वीन्स रोड़,
वैशालीनगर, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर.
2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/09/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी ललित कुमार सरावगी मैसर्स रॉयल ललित, जयपुर द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प.38(ए)(प्रस्ताव) हो.बा./आब/2016/488 आदेश दिनांक 03.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। आबकारी आयुक्त ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा होटल बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लाईसेंस फीस व अन्य जमा करवाई गई कुल राशि रूपये 8,50,000/– को जब्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये अपनी होटल मैसर्स होटल रॉयल ललित (ए यूनिट ऑफ मधूप कुमार सरावगी (यू.एच.एफ.) राठौड़ नगर, क्वीन्स रोड़, वैशाली नगर, जयपुर में बार लाईसेंस हेतु आबकारी आयुक्त के समक्ष आवेदन किया गया, एवं इस हेतु वांछित दस्तावेज एवं आबकारी अधिकारी जयपुर शहर द्वारा दिये गये ई–चालान से रूपये 9,35,010/– एस.बी.बी.जे., तिलक मार्ग, जयपुर में दिनांक 27.04.2016 को जमा करवाये गये। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी व्यावसायिक परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन का पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2013/ डी–447 दिनांक 05.03.2013 एवं जयपुर विकास प्राधिकारण द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र के नक्शे की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी। साथ ही अपीलार्थी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं नगर निगम द्वारा लाईसेंस की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी।

लगातार.....2

3. तत्पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 16.05.2016, 04.07.2016, 10.08.2016 एवं 31.08.2016 लिखते हुए होटल प्रयोजनार्थ स्वीकृत भवन मानचित्र की प्रति चाही गयी, जबकि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ जयपुर विकास प्राधिकारण द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण मानचित्र की प्रतियां प्रस्तुत की गयी थी। इस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.9.2016 को जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपना आवेदन विद्ड्रॉ करने एवं जमा राशि पुनः लौटाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र दिनांक 27.9.2016 होटल बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र को निरस्त किये जाने की सूचना दी गयी, किन्तु अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि बाबत कोई अंकन नहीं किया गया। इस पर अपीलार्थी द्वारा उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि रिफण्ड किये जाने हेतु निवेदन किया जाने पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को रिफण्ड बाबत पत्र दिनांक 26.10.2016 प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को पत्र दिनांक 04.01.2017 से सूचित किया गया कि वांछित पूर्ति नहीं किये जाने के कारण आवेदन–पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का दोष है अतः कोई भी राशि प्रतिदाय योग्य नहीं है। साथ ही आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई लाईसेंस फीस की राशि रूपये 7,50,000/– एवं न्यूनतम स्पेशल बैण्ड फीस की राशि रूपये 1,00,000/– कुल रूपये 8,50,000/– जब्त किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 03.02.2017 को पारित किया गया। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा होटल बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ वांछित सभी दस्तावेज यथा जयपुर विकास प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत व्यावसायिक भवन निर्माण मानचित्र, वाणिज्यिक कैर विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र, नगर निगम जयपुर द्वारा जारी होटल व्यावसाय का अनुज्ञापत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेज मय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिये गये चालान अनुसार जमा राशि रूपये 9,35,010/– के जमा रसीद संलग्न किये गये थे। इसके बावजूद जिला आबकारी अधिकारी द्वारा होटल प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र की प्रति मांगना पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित था। अपीलार्थी का भवन मानचित्र व्यावसायिक गतिविधियों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत था, व्यावसायिक प्रयोजनों में

लगातार.....3

होटल व्यवसाय भी सम्मिलित है, इस बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को पत्र दिनांक 03.07.2015 भी लिखा गया है, जिसमें व्यावसायिक भूखण्ड पर मिश्रित भू–उपयोग (वाणिज्यिक + ग्रुप हाउसिंग + होटल/मल्टीप्लेक्स/कार्यालय/एन्टरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स) शामिल हैं। इसके बावजूद होटल व्यवसाय हेतु भवन मानचित्र की मांग करने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र ही विद्ड्रॉ करने बाबत निवेदन कर दिया गया। प्रकरण में अपीलार्थी का कोई दोष प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि पुनः लौटाये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1380/2015 रोहित ततेरवाल पुत्र श्री गोपीचन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2015; एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 18929/2015 आबकारी आयुक्त राजस्थान बनाम योगेन्द्र सिसोदिया पुत्र श्री राकेश कुमार साहू में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2017;** माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 570/2015/अजमेर योगेन्द्र सिसोदिया पुत्र श्री राकेश कुमार साहू बनाम आबकारी आयुक्त, राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2015 तथा अपील संख्या 677/2015/अजमेर पवन गोयल पुत्र श्री कैलाशचन्द्र गोयल बनाम आबकारी आयुक्त, राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2015** की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकार किये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा जमा राशि मय ब्याज लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बार–बार होटल व्यवसाय हेतु स्वीकृत भवन मानचित्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखे जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा स्वैच्छा से अपना आवेदन विद्ड्रॉ किये जाने का निवेदन किये जाने के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार की आबकारी नीति 2016–17 के अनुसार होटल बार लाईसेंस हेतु सक्षम प्राधिकारी से होटल व्यवसाय हेतु भवन मानचित्र स्वीकृत करवाया जाना बाध्यकारी शर्त है, जिसकी पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि जब्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....4

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का होटल बार लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा होटल व्यवसाय हेतु स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का भूखण्ड संख्या 89, 90, 100, 101 राठौड़ नगर, क्वींस रोड़, वैशाली नगर, जयपुर, जिस पर विवादित होटल निर्मित है एवं जिसके लिये होटल बार लाईसेंस के लिये आवेदन किया गया है, पर व्यावसायिक भवन मानचित्र जयपुर विकास प्राधिकारण द्वारा दिनांक 05.03.2013 को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को पत्र दिनांक 03.07.2015 प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि व्यावसायिक भूखण्ड पर मिश्रित भू–उपयोग (वाणिज्यिक + ग्रुप हाउसिंग + होटल/मल्टीप्लेक्स/कार्यालय/एन्टरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स) अनुज्ञेय होंगे। साथ ही नगर निगम जयपुर द्वारा अपीलार्थी को होटल–रेस्ट्रों हेतु अनुज्ञापत्र क्रमांक 90505020 दिनांक 31.03.2016 जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में होटल व्यवसाय हेतु भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराने के आधार पर आवेदन–पत्र को निरस्त करते हुए जमा राशि राजसात करने सम्बन्धी आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन–पत्र के साथ वांछित सभी शर्तें पूर्ण कर दी गयी थी, जिनके आधार पर वह होटल बार लाईसेंस प्राप्त करने का अधिकारी था, किन्तु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन–पत्र निरस्त किये जाने में एवं आबकारी आबकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा जमा राशि राजसात किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की आबकारी नीति के तहत वांछित सभी शर्तें पूर्ण करने के बाद किसी कारणवश अपना आवेदन–पत्र विद्ड्रॉ किया जाता है तो वह जमा राशि पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 03.02.2017 अपास्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा जमा राशि बाद सत्यापन मय ब्याज लौटाई जावे।

9. निर्णय सुनाया गया ।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष